रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1986/भाद्रपद 13, 1908
NO. 411] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 4, 1986/BHADRA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली 10 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1058 (अ).—(संविधा/संशोधन सं.....):— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि भारत

सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, स्वास्थ्य परिवार नियोजन और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित भाग 8 में, पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सभी अन्य मामलों में :—

इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट से भिन्न, किन्हीं विषयों से संबंधित सभी विलेख और लिखतें महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, उपमहानिदेशक, औषधि नियंत्रक (भारत), और प्रशासन निदेशक"।

[फा. सं. 17(1)/86—न्याय.]
जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th July, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1058(E) (Contract|Amendment No.....).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution, the President hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 585 dated the 1st February, 1966, namely :—

In the said notification, in Part VIII relating to the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development for paragraph (II), the following paragraph shall be substituted, namely :—

"In all other cases pertaining to the Directorate General of Health Services and the Offices subordinate to it :—

All deeds and instruments relating to any matter, other than those herein before specified ; the Director General of Health services, Additional Director General of Health Services, Deputy Director General Drug Controller (India), and Director of Administration."

[F. No. 17(1)|86 Judl.]
G. V. G. KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.
and Legal Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986